



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या ०४ पटना, बुधवार, ५ माघ १९४४ (श०)
२५ जनवरी २०२३ (ई०)

विषय-सूची		पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-9	भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---	भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डी०पी०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---	भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---	भाग-9—विज्ञापन
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---	भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---	भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।
भाग-4—बिहार अधिनियम	---	पूरक
		पूरक-क
		10-12
		13-13

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

गृह विभाग (विशेष शाखा)

अधिसूचना

13 जनवरी 2023

सं० एल/एच०जी०-14-19/2019-562—महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा का कार्यालय, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक-6941, दिनांक-22.12.2022 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में विभागीय आदेश सं०-14626, दिनांक-30.12.2022 के द्वारा श्री अनुज कुमार, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, खगड़िया को दिनांक-01.01.2023 से 28.02.2023 तक कुल 59 (उनसठ) दिनों का विस्तारित उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. श्री अनुज कुमार, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, खगड़िया के अवकाश की अवधि में खगड़िया जिला एवं लखीसराय जिला का प्रभार श्री मनीष कुमार, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, बेगूसराय को प्रदान किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अनिमेश पाण्डेय, संयुक्त सचिव।

गृह विभाग (विशेष शाखा)

आदेश

16 जनवरी 2023

सं० एल/एच०जी०-2201/2016-655—महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा का कार्यालय, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक-406, दिनांक-13.01.2023 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में श्रीमती रश्मि, जिला समादेष्टा, मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना को बिहार सेवा (द्वितीय संशोधन) संहिता, 2014 के नियम-220ए के तहत अपनी द्वितीय संतान की देखभाल हेतु दिनांक 17.01.2023 से 31.05.2023 तक कुल 135 (एक सौ पैंतीस) दिनों का शिशु देखभाल छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस आदेश में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
अनिमेश पाण्डेय, संयुक्त सचिव।

17 जनवरी 2023

सं० एल/एच०जी०-14-03/2022-724—महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा का कार्यालय, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक-155, दिनांक-05.01.2023 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में सुश्री स्नेही सोनल, परिवीक्ष्यमान जिला समादेष्टा, मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-180 एवं 196 के तहत दिनांक-15.11.2022 से 17.02.2023 तक कुल 95 (पंचानवे) दिनों के असाधारण अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आदेश से,
अनिमेश पाण्डेय, संयुक्त सचिव।

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

17 जनवरी 2023

सं० कौन/भी-18/2017-04/सी०—वाहन संख्या-UP15-CT/ 3453 को दिनांक-14.06.2016 को समेकित जांच चौकी जलालपुर (गोपालगंज) पर पदस्थापित पदाधिकारियों द्वारा माल के कागजातों एवं विहित प्रपत्र की जांच हेतु रोका गया। चालक द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अनुसार माल का परिवहन गुजरात से गुवाहाटी के लिये किया जा रहा था। अतः निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा उक्त वाहन के चालक से विहित प्रपत्र D-VII की मांग की गयी।

चालक द्वारा विहित प्रपत्र D-VII प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण उक्त माल के परिवहन को बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 60(2)—सह—पठित संगत नियमावली के नियम 40 के अनुरूप नहीं पाये जाने के कारण नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करते हुए रु० 360360.00/— (तीन लाख साठ हजार तीन सौ साठ रु० मात्र) की शास्ति अधिरोपित की गयी।

उक्त पारित शास्ति आदेश से विक्षुब्ध होकर परिवहनकर्त्ता द्वारा वाणिज्य—कर संयुक्त आयुक्त (अपील), तिरहुत एवं सारण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के कार्यालय में अपील दायर किया गया। अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित कर स्थगन आदेश के आलोक में अधिरोपित शास्ति के समतुल्य राशि के बराबर बैंक गारंटी प्राप्त करते हुए जाँच चौकी द्वारा माल सहित वाहन को विमुक्त कर दिया गया।

तदोपरान्त अपीलीय न्यायालय ने अपने अंतिम आदेश ज्ञापांक—1564, दिनांक—22.09.2016 द्वारा उक्त मामले को प्रत्यावर्तित कर दिया एवं निदेश दिया कि अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्यों के जाँचोपरान्त उसके गुण दोष के आधार पर विधिसम्मत आदेश पारित किया जाय।

अपीलीय न्यायालय के आदेश के आलोक में श्री अमिताभ मिश्रा, तत्कालीन वाणिज्य—कर उपायुक्त, समेकित जांच चौकी जलालपुर (गोपालगंज) द्वारा साक्ष्यों के जांचोपरान्त उनके गुण दोष के आधार पर कोई आदेश पारित करने के बजाय मांग को शून्य कर दिया गया एवं परिवहनकर्त्ता को उनके द्वारा दाखिल बैंक गारंटी वापस कर दी गयी।

संदर्भित मामले की जांच तत्कालीन वाणिज्य—कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), सारण, छपरा से करायी गयी। प्राप्त जांच प्रतिवेदन के सम्यक समीक्षोपरान्त श्री अमिताभ मिश्रा, तत्कालीन वाणिज्य—कर उपायुक्त, समेकित जांच चौकी, जलालपुर (गोपालगंज) सम्प्रति राज्य कर अपर आयुक्त (प्रशासन), पटना पश्चिमी प्रमंडल, पटना के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई किये जाने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात श्री अमिताभ मिश्रा, राज्य कर अपर आयुक्त (प्रशासन), पटना पश्चिमी प्रमंडल, पटना के विरुद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए बचाव अभिकथन की मांग की गयी। प्राप्त बचाव अभिकथन के सम्यक् समीक्षोपरान्त असहमत होते हुए श्री मिश्रा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए श्री मिश्रा से अभ्यावेदन/निवेदन की मांग की गयी।

श्री अमिताभ मिश्रा, राज्य कर अपर आयुक्त (प्रशासन), पटना पश्चिमी प्रमंडल, पटना द्वारा दिये गये उक्त अभ्यावेदन/निवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि श्री मिश्रा द्वारा वाणिज्य—कर संयुक्त आयुक्त (अपील), तिरहुत एवं सारण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के न्याय निर्णय ज्ञापांक—1564 दिनांक—22.09.2016 के पारित आदेश के आलोक में गुण—दोष के आधार पर समीक्षा किये बगैर अवर न्यायालय द्वारा बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 60(2)—सह—पठित संगत नियमावली के नियम—40(2)(a) के उल्लंघन के फलस्वरूप अधिरोपित शास्ति की राशि रुपये 3,60,360.00/— (तीन लाख साठ हजार तीन सौ साठ रुपये) को शून्य कर दिया गया है। फलस्वरूप श्री अमिताभ मिश्रा, राज्य कर अपर आयुक्त (प्रशासन), पटना पश्चिमी प्रमंडल, पटना द्वारा दिये उक्त अभ्यावेदन/निवेदन से असहमत होते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14(iii) के प्रावधानानुसार रु० 3,60,360.00/— (तीन लाख साठ हजार तीन सौ साठ रुपये) की वसूली निम्न प्रकार से किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(1) रुपये 10,360/— (दस हजार तीन सौ साठ रुपये) की वसूली इनके माह जनवरी 2023 के वेतन से किया जाय, और

(2) शेष दंड की राशि रुपये 3,50,000.00/- (तीन लाख पचास हजार) की वसूली इनके सेवानिवृत्ति के उपरान्त प्राप्त होने वाले अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि से किया जाय।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

पंकज कुमार सिन्हा, राज्य कर अपर आयुक्त-सह-संयुक्त सचिव।

परिवहन विभाग

अधिसूचनाएं

19 जनवरी 2023

सं० 05/स्था० (DTO)-30/2013 (छा० सं०)-365—जिला पदाधिकारी, शेखपुरा से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में सोनी कुमारी, वरीय उप समाहर्ता, शेखपुरा को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, शेखपुरा के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत जाता है।

सोनी कुमारी को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213(1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी की शक्तियाँ उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

कृत्यानंद रंजन, उप-सचिव।

23 जनवरी 2023

सं० 04/STA-(विविध)-04/2022(खण्ड), परि०-413—विभागीय अधिसूचना संख्या-836, दिनांक-05.02.2018 की कंडिका-2 के आलोक में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68 की उपधारा-(3)(c-a) के अन्तर्गत पूर्व में अधिसूचित अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों के अतिरिक्त अनुलग्नक-क(viii) के रूप में कुल 41 (इकतालीस) अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित किया जाता है।

शेष यथावत रहेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह०) अस्पष्ट, उप-सचिव।

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68(3)(c-a) के अनुपालन में चिह्नित किये गये अतिरिक्त अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों की सूची :-							
क्र०	रूट कोड	अप ट्रीप मार्ग का नाम	अप ट्रीप मार्ग का भाया	डाउन ट्रीप मार्ग का नाम	डाउन ट्रीप मार्ग का भाया	मार्ग की दूरी (कि०मी०)	अभियुक्ति
1	5427	पिपरिया दियारा से मुंगेर		मुंगेर से पिपरिया दियारा		63	
2	5428	सिमरी बख्तियारपुर से पटना	सोनवर्षा, बैजनाथपुर, सहरसा, गंडौल, बिरौल, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर	पटना से सिमरी बख्तियारपुर	हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बिरौल, गंडौल, सहरसा, बैजनाथपुर, सोनवर्षा,		
3	5429	मैनाटांड(प्रखण्ड सिकटा) से पटना		पटना से मैनाटांड(प्रखण्ड सिकटा)		215	
4	5430	औरंगाबाद से पटना	बडेम, नवीनगर, एन.टी.पी.सी.	पटना से औरंगाबाद	एन.टी.पी.सी., नवीनगर, बडेम	210	
5	5431	फतुहा से नुरसराय	दनियावा, चंडी	नुरसराय से फतुहा	चंडी, दनियावा	37	
6	5432	घाटकुसुम्मा से पटना	बरबीघा, बिहारशरीफ	पटना से घाटकुसुम्मा	बिहारशरीफ, बरबीघा	119	
7	5433	घाटकुसुम्मा से शेखपुरा	पुरैना	शेखपुरा से घाटकुसुम्मा	पुरैना	17	
8	5434	चंदौना से दरभंगा	घोघराहा, जाले, भड़वारा, अतरबेल	दरभंगा से चंदौना	अतरबेल, भड़वारा, जाले, घोघराहा,	51	

9	5435	चंदौना से दरभंगा	घोघराहा, जोगियार, मुरैठा, कमतौल	दरभंगा से चंदौना	कमतौल, मुरैठा, जोगियार, घोघराहा,	47	
10	5436	चंदौना से मुजफ्फरपुर	घोघराहा, जाले, भड़वारा, अतरबेल	मुजफ्फरपुर से चंदौना	अतरबेल, भड़वारा, जाले, घोघराहा,	83	
11	5437	राजनगर से भगवानपुर गंगाद्वार	मौलाम, मिर्जापुरचौक, कोईलख, परसा, रामपट्टी, मधुबनी	भगवानपुर गंगाद्वार से राजनगर	मधुबनी, रामपट्टी, परसा, कोईलख, मिर्जापुरचौक, मौलाम	42	
12	5438	पटना से गौरीचक	पुनपुन, बसुहार, मराची, मुसना	गौरीचक से पटना	मुसना, मराची, बसुहार, पुनपुन	18	
13	5439	अमरपुर से पटना	भागलपुर	पटना से अमरपुर	भागलपुर	261	
14	5440	पीपराही से जयनगर	लदनिया, तेनुआही	जयनगर से पीपराही	तेनुआही, लदनिया	139	
15	5441	पटना से समस्तीपुर	हाजीपुर, महुआ, कुशहर, पातेपुर, ताजपुर	समस्तीपुर से पटना	ताजपुर, पातेपुर, कुशहर, महुआ, हाजीपुर	95	
16	5442	पातेपुर से पटना	बहुआराचौक, पातेपुरबाजार, कतरीसराय, महुआ	पटना से पातेपुर	महुआ, कतरीसराय, पातेपुरबाजार, बहुआराचौक	60	
17	5443	मधुबनी(बेनीपट्टी) से पटना	बसैठ, कमतौल, दरभंगा	पटना से मधुबनी(बेनीपट्टी)	दरभंगा, कमतौल, बसैठ	186	
18	5444	माताचामुण्डा स्थान कटरा से पटना	मुजफ्फरपुर	पटना से माताचामुण्डा स्थान कटरा	मुजफ्फरपुर	136	
19	5445	मधुबनी(बौसीधाम) से पटना	चौतरवा, बेतिया	पटना से मधुबनी(बौसीधाम)	बेतिया, चौतरवा	175	
20	5446	सुडियाही से पटना गांधी मैदान	कदमपुरा	पटना गांधी मैदान से सुडियाही	कदमपुरा	248	
21	5447	गड़वा स्वतंत्रता सेनानी अनंतलाल कामत समाधि स्थल से पटना गांधी मैदान		पटना गांधी मैदान से गड़वा स्वतंत्रता सेनानी अनंतलाल कामत समाधि स्थल		100	
22	5448	अमनौर से पटना	भेल्टी, परसा	पटना से अमनौर	परसा, भेल्टी	70	
23	5449	परसा से छपरा	मकर, रायपुरा	छपरा से परसा	रायपुरा, मकर	45	
24	5450	अधौरा प्रखण्ड मुख्यालय से पटना	भभुआ	पटना से अधौरा प्रखण्ड मुख्यालय	भभुआ	255	
25	5451	चांद प्रखण्ड(भभुआ) से पटना	मोहनिया, कोचस, दिनारा, मलियाबाग, आरा	पटना से चांद प्रखण्ड भभुआ	आरा, मलियाबाग, दिनारा, कोचस, मोहनिया,	213	
26	5452	ककीला(भोजपुर) से पटना	जगदीशपुर, आरा, बिहटा	पटना से ककीला(भोजपुर)	बिहटा, आरा, जगदीशपुर	83	
27	5453	प्रणावां धाम से राजगीर	सरमेरा, बरबीघा, अस्थावां, बिहारशरीफ, पावापुरी	राजगीर से प्रणावां धाम	पावापुरी, बिहारशरीफ, अस्थावां, बरबीघा, सरमेरा,	96	
28	5454	बगहा से पटना	मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर	पटना से बगहा	हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी	264	
29	5455	पटना से जन्दाहा	पासवान चौक, चकसिकन्दर	जन्दाहा से पटना	चकसिकन्दर, पासवान चौक	56	

30	5456	सहरसा से उदाकिशुनगंज	मधेपुरा, मीरगंज, मुरलीगंज, बिहारीगंज	उदाकिशुनगंज से सहरसा	बिहारीगंज, मुरलीगंज, मीरगंज, मधेपुरा,		
31	5457	पूर्णियां से सोनैली	कदवा	सोनैली से पूर्णियां	कदवा	65	
32	5458	पटना(गांधी मैदान) से बिहटा रेलवे स्टेशन	पटना जंक्शन, इनकम टैक्स, बिहार म्युजियम, चिड़ियाखाना, शेखपुरा मोड़, जगदेवपथ, आर.पी. एस.मोड़, सगुनामोड़, दानापुर, मनेरशरीफ	बिहटा रेलवे स्टेशन से पटना(गांधी मैदान)	मनेरशरीफ, दानापुर, सगुनामोड़, आर. पी.एस.मोड़, जगदेवपथ, शेखपुरा मोड़, चिड़ियाखाना, बिहार म्युजियम, इनकम टैक्स, पटना जंक्शन	30	
33	5459	भीठ भगवानपुर चौक से पटना	मधेपुर, बेलौंचा, तुलसिया रेलवे गुमटी, सुखेत, झंझारपुर थाना	पटना से भीठ भगवानपुर चौक	झंझारपुर थाना, सुखेत, तुलसिया रेलवे गुमटी, बेलौंचा, मधेपुर	213	
34	5460	इमादपट्टी चौक से पटना	खैरा चौक, काको चौक, निर्मापुर चौक, विरौल चौक, रैयाम(रैमा), रूपौली चौक, लोहना, पैटघाट, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर	पटना से इमादपट्टी चौक	हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पैटघाट, लोहना, रूपौली चौक, रैयाम(रैमा), विरौल चौक, निर्मापुर चौक, काको चौक, खैरा चौक	201	
35	5461	भगता चौक से पटना	बसीपट्टी, बरहारा, निर्मली, बेलही, परसा, किसनीपट्टी, बेलहा(जीरोप्वाईट), फुलपरास, खोपा, मोहना बाइपास, सकरी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर	पटना से भगता चौक	हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सकरी, मोहना बाइपास, खोपा, फुलपरास, बेलहा(जीरोप्वाईट), किसनीपट्टी, परसा, बेलही, निर्मली, बरहारा, बसीपट्टी		
36	5462	अनन्तशरण के समाधि स्थल ग्राम सुन्दर विराजित से मधुबनी	चिकना, खोपा, आंराठाढ़ी, पिपराघाट, राजनगर	मधुबनी से अनन्तशरण के समाधि स्थल ग्राम सुन्दर विराजित	राजनगर, पिपराघाट, आंराठाढ़ी, खोपा, चिकना	62	
37	5463	सरौती से मधुबनी	हटनी, अलोला, बसुआरी, कदमपुरा, नरहिया, फुलपरास, खोपा, मोहना बाइपास, मेहथ, भगवतीपुर, रामपट्टी	मधुबनी से सरौती	रामपट्टी, भगवतीपुर, मेहथ, मोहना बाइपास, खोपा, फुलपरास, नरहिया, कदमपुरा, बसुआरी, अलोला, हटनी		
38	5464	लौकही से पटना	भवानीपुर, डंगराहा, भुतहा, फुलपरास, खोपा, सकरी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर	पटना से लौकही	हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सकरी, खोपा, फुलपरास, भुतहा, डंगराहा, भवानीपुर	238	
39	5465	अंधरामठ से पटना	महादेवमठ, बनगांवा, भुतहा, फुलपरास, खोपा, सकरी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर	पटना से अंधरामठ	हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सकरी, खोपा, फुलपरास, भुतहा, बनगांवा, महादेवमठ	245	

40	5466	कुनौली से पटना	सिकरहटा, दिधिया, मझारी, भुतहा, फुलपरास, खोपा, सकरी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर	पटना से कुनौली	हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सकरी, खोपा, फुलपरास, भुतहा, मझारी, दिधिया, सिकरहटा		
41	5467	प्रणावां धाम से पटना	बिंद, हरनौत, बख्तियारपुर	पटना से प्रणावां धाम	बख्तियारपुर, हरनौत, बिंद	96	

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, उप—सचिव।

सहकारिता विभाग

अधिसूचनाएं

22 दिसम्बर 2022

सं0 8/नि.को.(रा.)विभागीय—712/2020—4200—संयुक्त निबंधक (अंकक्षण), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक 5378 दिनांक 13.07.2022 द्वारा श्री सैयद मसरूख आलम, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, पाटलीपुत्रा सेन्ट्रल को—ऑपरेटिव बैंक लि0, पटना के विरुद्ध नोटबंदी के दौरान किये गये नन के0वाई0सी0 ट्रान्जेक्शन एवं के0वाई0सी0 संबंधी त्रुटियों के आरोप के लिए आरोप एवं श्री आलम से प्राप्त स्पष्टीकरण विभाग को भेजा गया।

श्री आलम के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनके स्पष्टीकरण की सम्यक समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री सैयद मसरूख आलम, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, पाटलीपुत्रा सेन्ट्रल को—ऑपरेटिव बैंक लि0, पटना सम्प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी, सीतामढ़ी को चेतावनी दी जाती है।

इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
ऋचा कमल, उप—सचिव।

26 दिसम्बर 2022

सं0 8/नि.को. (रा.)विविध—810/2022—4217—जिला पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक 1075 दिनांक 09.04.2022 द्वारा श्री मिथिलेश कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, अररिया के विरुद्ध धान अधिप्राप्ति कार्य में अभिरुचि नहीं लेने एवं अनधिकृत रूप से जिला मुख्यालय से बाहर रहने के आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की गयी।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 15548 दिनांक 06.12.2017 की कंडिका 4(3) के आलोक में विभागीय पत्रांक 2005 दिनांक 06.06.2022 द्वारा जिला पदाधिकारी, अररिया के पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री कुमार द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक 609 दिनांक 09.04.2022 से स्पष्टीकरण का जबाब समर्पित किया गया।

श्री मिथिलेश कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनके स्पष्टीकरण के सम्यक समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री मिथिलेश कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, अररिया द्वारा धान अधिप्राप्ति कार्य में अभिरुचि नहीं लेने एवं अनधिकृत रूप से मुख्यालय से बाहर रहने के आरोप के लिए उन्हें कड़ी चेतावनी का दंड संसूचित की जाती है।

इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
ऋचा कमल, उप—सचिव।

सं0 5/डी0—04—10—02/2017—134

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

राम विलास दुबे,
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय:—

पटना—15, दिनांक—16 जनवरी 2023
जल संसाधन विभाग के कार्यों में तकनीकी परामर्श प्रदान करने निमित्त सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता स्तर के पदाधिकारी (वेतन स्तर—14/13ए) श्री अंजनी कुमार सिंह, सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख,

मुख्यालय, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना की तकनीकी परामर्शी के गैर संवर्गीय पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मंत्रिपरिषद की दिनांक 13.04.2023 को सम्पन्न बैठक के आलोक में बिहार राज्य को बाढ़ की विभीषिका से बचाव हेतु बाढ़ संघर्षात्मक, कटाव निरोधक कार्य, सिंचाई से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं का ससमय कार्यान्वयन, नहरों से पटवन हेतु जलश्राव को उनके अंतिम छोर तक पहुँचाने एवं इन कार्यों की गुणवत्ता का सतत अनुश्रवण किये जाने हेतु मुख्यालय स्तर पर प्रशासी पदवर्ग समिति की अनुशंसा के आलोक में वित्त विभाग के पत्रांक-12142 दिनांक 27.12.2022 द्वारा जल संसाधन विभाग, बिहार के अन्तर्गत तकनीकी परामर्शी के एक गैर-संवर्गीय पद विभागीय संकल्प संख्या-133 दिनांक-16.01.2023 द्वारा तकनीकी परामर्शी का एक गैर संवर्गीय पद दिनांक 20.08.2022 से 02 (दो) वर्षों के लिए अस्थायी रूप से सृजित किया गया है।

2. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) के संकल्प ज्ञापांक-10000, दिनांक 10.07.2015 के प्रावधानानुसार संविदा के आधार पर जिस व्यक्ति का चयन किया जायेगा, वह संकल्प में यथा निर्देशित/गठित समिति के द्वारा चयनित होगा। चूंकि इस मामले में कार्यानुभव के आधार पर व्यक्ति विशेष की नियुक्ति करने का प्रस्ताव है, अतः संकल्प में प्रावधानित समिति के माध्यम से चयन के प्रावधान को विशेष परिस्थिति में शिथिल किया जाता है।

3. प्रशासी पदवर्ग की अनुशंसा के आलोक में मंत्रिपरिषद की दिनांक 13.01.2023 को सम्पन्न बैठक के मद संख्या-22 में लिए गए निर्णय के आलोक में जल संसाधन विभाग में व्यापक अनुभव प्राप्त पदाधिकारी श्री अंजनी कुमार सिंह, सेवानिवृत्त (दिनांक 31.07.2020) अभियंता प्रमुख, मुख्यालय, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना, को जल संसाधन विभाग में तकनीकी परामर्शी के गैर संवर्गीय पद पर संविदा के आधार पर विभागीय आदेश निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए निम्नांकित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है:-

- (क) श्री अंजनी कुमार सिंह को सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-10000 दिनांक 10.07.2015 के द्वारा प्रावधानित मासिक मानदेय देय होगा।
- (ख) श्री सिंह के जल संसाधन विभागान्तर्गत तकनीकी परामर्शी के गैर संवर्गीय पद पर एक वर्ष के लिए संविदा आधारित नियुक्ति पर लगभग 11,59,368/- (ग्यारह लाख उन्सठ हजार तीन सौ अरसठ रुपये मात्र) का व्यय अनुमानित है। यह व्यय स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष-3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएँ, उप मुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-090-सचिवालय, उपशीर्ष-0009-जल संसाधन विभाग, विपत्र कोड 49-34510009000009, के विषय शीर्ष-28 02-संविदा सेवाएँ के अन्तर्गत भारित होगा।
- (ग) संविदा के आधार पर यह नियुक्ति विभागीय आदेश निर्गत की तिथि से 01 (एक) वर्ष के लिए होगी।
- (घ) संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे और सरकारी सेवक की तरह अनुमान्य किसी भी सरकारी सुविधा के हकदार नहीं होंगे। संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमित करने का उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
- (च) यदि संविदा की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि संविदा सेवा अवधि विस्तार नहीं हो जाता है, तो ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। इस हेतु किसी प्रकार का अतिरिक्त आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
- (छ) नियोक्ता तथा संविदा के आधार पर नियोजित किये जानेवाले व्यक्ति के बीच विहित प्रपत्रद में एकरारनामा सम्पन्न किया जाएगा। नियोक्ता के तरफ से संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा एकरारनामा की कार्रवाई सम्पन्न की जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम विलास दुबे, संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।

सामान्य प्रशासन विभाग

सं० 4/स्था०-I-01-17/2022-1587/सा०प्र०

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
द्वारा:- वित्त विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 20.01.2023

विषय - सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के मुख्यालय स्थापना हेतु 05 (पाँच) नये वाहन चालकों के पद का सृजन करने के संबंध में।

आदेश - स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (मुख्य जाँच आयुक्त कार्यालय सहित) में कुल 06 वाहन चालक के पद स्वीकृत हैं। जिसमें मुख्य जाँच आयुक्त कार्यालय हेतु कुल 04 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्यालय स्थापना हेतु कुल 02 वाहन चालक के पद स्वीकृत हैं।

2. विभाग में सम्प्रति कुल 09 वाहन उपलब्ध हैं तथा दिनांक-18.07.2022 को नीलाम हुए दो विभागीय वाहन के बदले दो नये वाहनों की क्रय प्रक्रियाधीन है, जिसके क्रय होने के उपरांत विभाग में कुल 11 वाहन उपलब्ध हो जायेंगे।

3. वाहन चालक के कुल स्वीकृत 06 पद के विरुद्ध 03 नियमित चालक, 01 संविदा के आधार पर पुनर्नियोजित से0नि0 चालक, 01 गृह रक्षक वाहन चालक तथा आवश्यकतानुसार बिहार स्टेट ट्रिज्म डे0का0लि0, पटना के माध्यम से आउटसोर्स द्वारा 04 वाहन चालकों की सेवा ली जा रही है।

4. इस प्रकार विभाग में कुल उपलब्ध 11 वाहनों के नियमित परिचालन हेतु कुल 11 नियमित वाहन चालक की आवश्यकता होगी जबकि सामान्य प्रशासन विभाग (मुख्य जाँच आयुक्त कार्यालय सहित) में वाहन चालक की कुल स्वीकृत पदों की संख्या- 06 है।

5. अतएव सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत पदस्थापित/प्रतिनियुक्त वरीय पदाधिकारियों को अनुमान्य सरकारी वाहन के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के मुख्यालय स्थापना हेतु वाहन चालक के पूर्व से स्वीकृत पदों के अतिरिक्त सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के मुख्यालय स्थापना हेतु कुल 05 (पाँच) नये वाहन चालक (वितन स्तर- 02) के पदों का सृजन किया जाता है।

6. उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप अनुमानित वार्षिक व्यय `20,22,960/- (बीस लाख बाईस हजार नौ सौ साठ रु0) मात्र है। उक्त राशि का व्यय बजट शीर्ष “2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं-090-सचिवालय -0004-सामान्य प्रशासन विभाग के लिए विपत्र कोड संख्या-N2052000900004 से किया जायेगा।

7. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जगदीश कुमार, उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 45—571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि ।

सूचना

No. 78—I, Aruna Kumari W/O Sanjay Kumar Singh R/O Mahesh Nagar Road No.3/A, Opposite Patel Nagar, Road No.-8 Near Nala, P.O.- Keshari Nagar, P.S.-Patliputra, Patna 800024 Bihar do hereby State that as per aff.No. 17572 dt.26.11.2022 that my name is written in my Son's Kumar Ayush 12th passing Certificate 2022CBSE Delhi is Aruna Singh which is wrong My correct name is Aruna Kumari.

Aruna Kumari.

सं० 79—मैं, फलक कमाल, पति—कमाल समी, पता—बैतुस सलाम, लोदी कटरा, पटना सिटी, थाना—खाजेकला, पो०—झाऊगंज, जिला—पटना मैं निम्नलिखित बातों की घोषणा करती हूँ कि:—मेरे शैक्षणिक योग्यता प्रमाण—पत्र में मेरा नाम फलक नाज अंकित है। लेकिन विवाह के बाद मेरे आधार कार्ड एवं पैन कार्ड में मेरा नाम फलक कमाल अंकित हो गया है। मैं अब से फलक नाज के नाम से ही जानी और पहचानी जाऊँगी। शपथ पत्र नं०—491 दिनांक—24.11.2022 ।

फलक कमाल ।

No. 80—I Yashvant Singh, S/o Dhananter Singh, R/o- Shiv Nagar, PO- Pakharpur, PS Karpi, Distt- Arwal- 804408, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per Aff. No. 1056 dt. 14/12/22 that my name is written in my daughter Neha Kumari class Xth certificate, roll no.- 22200166, issued by CBSE Board as Yashvant Singh which is wrong. My correct name is Yaswant Singh. Now I will be known as Yaswant Singh for all future purposes.

Yashvant Singh.

No. 81—I Asha Singh, w/o Yaswant singh, R/o Shiv Nagar, Po. -Pakharpur, PS- Karpi, Distt.-Arwal-804408, Bihar, do hereby solemnly affirm and declare as per Aff. 1055, dt. 14/12/22 that my name is written in my daughter Neha kumari, class Xth certificate, Roll No. - 22200166 issued by CBSE Board as Asha Singh which is wrong. My correct name is Asha Kumari for all future purposes.

Asha Singh.

No. 82—I Acharya Shailesh. Son of Shri Yugal kishore Shahi resident of H/45, Road No.1 New Patliputra Colony, P.S.-Patliputra, District-Patna, do hereby solemnly affirm and declare as follows:-That earlier I was also known as Shailesh Shekhar. That Acharya Shailesh and Shailesh Shekhar, son of shri Yugal kishore Shahi is same person and presently I am known for all purpose my name Shailesh Shekhar affidavit No. 10306 Dated 15/7/2022 That the contents of this affidavit is true and correct to the best of Knowledge and belief.

Acharya Shailesh.

No. 83—I, Nishant Kumar, S/O- Hari Mohan Prasad Singh, R/O Village- Nagrah, PS- Naugachia, Dist- Bhagalpur do hereby solemnly affirm and declare that as well as I am also known as Nishant Kumar Singh. I am being called by both the names. Nishant Kumar and Nishant Kumar Singh is the same person. Nishant Kumar and Nishant Kumar Singh Shall be known as one and only one name Nishant Kumar. Affidavit No- 1646. Date- 09-09-2022.

Nishant Kumar.

सं० 84—मैं अंजलि, पिता- संजय कुमार पाण्डेय, निवासी- निकट डॉ. रजनी गुप्ता, बजरंगपुरी, थाना- आलमगंज, पो.- गुलज़ारबाग, पटना. बिहार, शपथ पत्र सं.- 1256/16.12.22 द्वारा सूचित करती हूँ कि मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम अंजलि (Anjali) हैं, अब मैं अंजलि कश्यप (Anjali Kashyap) के नाम से जानी एवं पहचानी जाऊंगी।

अंजलि।

सं० 93—मैं रीना देवी, पति-राजन कुमार, निवासी-रुस्तमपुर, वैशाली, बिहार- 844508, शपथ पत्र सं.- 1257/16.12.22 द्वारा सूचित करती हूँ कि मेरे आधार एवं पैन कार्ड में मेरा नाम रीना देवी दर्ज है एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्र में रीना कुमारी दर्ज हैं। अब मैं रीना कुमारी के नाम से ही जानी एवं पहचानी जाऊंगी।

रीना देवी।

No. 94—I, Shree Prakash Lal R/o 509, Durga Marine Drive, Dujra, Patna- 800001 affirm and declare that Shreeneil is my son that now I want to add title Lal in his name now he will be known as Shreeneil Lal for all purposes vide affidavit no.1278 dtd 24.11.2022.

Shree Prakash Lal.

No. 95—I, Abhishek Kumar S/o Anil Kumar , H/o Bijay Prasad Srivastava Mig-235 Malahipakri Chowk, LohiyaNagar, Ps- Kanakarbagh, District- Patna , Bihar -800020 do solemnly affirm and declare that I changed my former name from Abhishek Kumar to Abhishek Srivastava in future for all the purposes which is true and verified by the Executive Magistrate Patna through affidavit no-17474 dated 24-11-2022 now I shall known as Abhishek Srivastava.

Abhishek Kumar.

No. 96—I PWITRI DEVI W/o Surendra Kumar Yadav, R/o Ward No-6 Vill- Dhanauti, P.S.-Panapur, P.O.-Mashrakh, Dist-Saran, Vide Affidavit No. C.F.18858 Dt. 16.12.22 That Previousely I was known by pavitri Devi Now I will be known As PWITRI DEVI.

PWITRI DEVI.

No. 97—I hereto known as MRITYUNJAY KUMAR, Son of RAMBHU JHA, Residing at Village.- Shahpur Shitalpatti, P.O.- Manaria, P.S.- Sahiyara, District- Sitamarhi, State- Bihar, Pin- 843332 have changed my name vide affidavit no. 5972 dated 17.11.2022 and shall hereafter be known as MRITYUNJAY KUMAR JHA.

MRITYUNJAY KUMAR.

सं० 98—मैं शिवम दुबे (Shivam Dubey), पिता-हरि ओम दुबे (Hari om Dubey), ग्राम-सतफेड़ा, पो०-दुल्लहपुर, थाना-सिमरी, जिला-बक्सर, बिहार शपथ पत्र सं०-1699/21.12.22 द्वारा सूचित करता हूँ कि वर्ष 2014 में C.B.S.E. बोर्ड द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा में पंजियन सं० P114/50243/0096 एवं अनुक्रमांक 7112782 के मूल प्रमाण पत्र में भूलवश मेरा नाम शिवम कुमार दुबे दर्ज हो गया है जो गलत है सही नाम शिवम दुबे है, आगे सभी कार्य हेतु इसी नाम से जाना व पहचाना जाऊंगा।

शिवम दुबे (Shivam Dubey).

सं० 99—मै हरिओम दुबे, पिता—त्रिपुरारी दुबे, साकिन—सतफेडवा, पो०—दुल्लहपुर, थाना—सिमरी, जिला—बक्सर, बिहार शपथ पत्र सं०—1865/23.12.22 द्वारा सूचित करता हूँ कि वर्ष—2014 में C.B.S.E. बोर्ड द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा में मेरे पुत्र शिवम दुबे (Shivam Dubey) के मैट्रिक पंजियन सं० P114/50243/0096 एवं अनुक्रमांक—7112782 के मूल प्रमाण पत्र में मेरा नाम हरि ओम दुबे (Hari om Dubey) दर्ज हो गया है जो गलत है सही नाम हरिओम दुबे (Hariom Dubey) है। आगे इसी नाम से जाना जाऊंगा।

हरिओम दुबे।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 45—571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट का पूरक(अ0) प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं0सं0-ग्रा0वि0-14(कोशी)सु0-03/2019---1507322

ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

17 जनवरी 2023

श्री आर्य गौतम, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, सुपौल सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, पतरघट (सहरसा) के विरुद्ध सरकारी राशि के बंदरबाट इत्यादि आरोप के लिए जिला पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक-408-2 दिनांक-28.05.2019 द्वारा गठित आरोप पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त आरोप पत्र एवं आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प संख्या-479004 दिनांक-01.07.2021 द्वारा श्री गौतम के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत पत्रांक-977348 दिनांक-03.06.2022 के द्वारा संचालन पदाधिकारी का जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसमें उनके द्वारा आरोप को अप्रामाणित प्रतिवेदित किया गया।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री गौतम के विरुद्ध धारित गंभीर प्रकृति के आरोप को साक्ष्य में अभाव का हवाला देते हुये संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप को अप्रामाणित प्रतिवेदित किया गया है।

अतः सम्यक विचारोपरांत आरोप की पुनः गहन जांच का निर्णय लिया जाता है।

अतएव पुनः जांच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत श्री आर्य गौतम, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, सुपौल सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, पतरघट (सहरसा) से संबंधित अभिलेख विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री राधा किशोर झा, संचालन पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को नामित किया जाता है। जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा नामित पदाधिकारी उपस्थापन पदाधिकारी होंगे।

श्री आर्य गौतम से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में पुनः अपना पक्ष रखते हुए जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी सम्बन्धित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरुगण डी, सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 45—571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>